

Language Endangerment and Vitality: A Sociolinguistic Study of Chinali Language

Farooq Ahmad Mir

e-mail: farooq.lgst@gmail.com

Abstract

Owing to the essentialities of language diversity, the language endangerment is of great concern to which linguists and language planners are responding keenly with different methods for language maintenance, preservation and prevention. With the due course of time many languages fall out of use due to various reasons such as the death of native speakers or their shift towards some other language and hence such languages extinct and die. However, if a language is at risk of falling out of use due to any reasons then it is termed an endangered language. In India alone at least 197 languages are surviving at various levels of endangerment. Chinali is one such language, predominantly spoken as mother tongue by not more than 700 speakers in Lahul valley of Himachal Pradesh. This language is surviving a moribund stage of endangerment which implies its transmission to younger generations has completely stopped. This paper will focus on various causes and reasons of its endangerment and will suggest some measures and methods by which this language will be preserved and protected.

Key Words: Language Endangerment, Chinali Language, Language Documentation.

Introduction

While treading the path of evolutionary processes, *Homo Sapiens* achieved language that shaped it Human Beings. Evolving with the due course of time Human Beings carried it along to evolve on parallel lines like an organism within organism. Languages can be traced greatest an achievement that primarily got designed to suffice the needs of communication. Communication is cited the greatest need of humans, for them being social in their behavior, conduct and nature. As Aristotle has maintained “Man is by nature a social animal; an individual who is unsocial naturally and not accidentally is either beneath our notice or more than human” (Newmann, 1902). So, in any social setup humans are in a constant need of communication of various dimensions for which language is the only available sufficient tool that is being employed. Humans inhabit earth so does the languages and across globe various languages perform human communication in one or the other way. On an average, apart from sign languages, there are as many as 885,971 languages (Ethnologue Report) living along with human population of the world. Classified and grouped under various language families, there is a varied canvas of language diversity round the globe somewhat analogous to the atmosphere of the earth comprising of diverse varieties of gases. The diversity of languages is of immense importance.

Although the present study delves not deeply into the nuances of the reasons for such importance but describes it in brief.

Languages have important implications for individuals and societies if a question like, "What constitutes knowledge of languages?" (Cook 1992: 579) is under scanner. It can be understood by the fact that each language is itself a manifestation of human creativity which has value independent of its use and also that it is a human accomplishment and end in itself. (Reaume 2000: 250). Also, Language is not simply a tool for communication but is a central and defining feature of identity as all human thoughts are conceptualized through a language and all human values are pronounced and perceived through it. (Sengupta 2009).


Owing to the essentialities of language diversity, the language endangerment is of great concern to which linguists and language planners are responding keenly with different methods for language revitalization, maintenance, preservation and prevention. On an average there are approximately 2471 languages spread on map of the world that are surviving endangerment at various degrees which is shown in the following table:

S. No.	DEGREE OF ENDANGERMENT	NUMBER OF LANGUAGES
01.	Vulnerable	598
02.	Definitely Endangered	646
03.	Severely Endangered	528
04.	Critically Endangered	576
05.	Extinct	231

Table 1. Number of Languages at various levels of Endangerment across globe.

Source: UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger

Following is the graphic representation of the above table that displays the highest number of languages being Definitely Endangered, followed by Vulnerable, Critically Endangered, Severely Endangered and finally the Extinct Categories, respectively.



However, if a language is at risk of falling out of use due to any reasons then it is termed an endangered language. In India alone at least 197 languages are surviving at various levels of endangerment. (UNESCO). Chinali is one of the languages spoken in Himachal Pradesh of India. This paper will focus on various causes and reasons of its endangerment and will suggest some measures and methods by which this language will be preserved and protected.

The Chinals: An Overview of the Community

Within a total population 31,564 (Census, 2011) of Lahul & Spiti district of Himachal Pradesh reside a small number of 215 people along the banks of river Chinab whose mother tongue is Chinali and are popularly known as the Chinals of this Himalayan area. Presently most of these are highly educated people, many of them assume administrative offices of the Government of India and the Government of Himachal Pradesh. Most of them follow Buddhism and some have faith in Hinduism. They enjoy Rice as their staple food besides wheat and maize.

Of their origin and settlement in the area, there are two claims. One is that their ancestors have migrated from Gool Gulabgarh, Doda and Kashtwar in Chinab Valley of Jammu and Kashmir, are the descendants of Aryans and the other claims their ancestral migration from Rajasthan and are Rajput. There is a common reason behind these migrations that is the state unrest in those times. Across Himachal Pradesh mostly all Chinals are associated with agriculture as their primary occupation.

Chinali Language: At a Glance

With an obvious SOV word order, classified as a language belonging to Indo-Aryan language family, written in Devanagri script, having a good collection of literature mainly comprising of poetry and folklore, without any prominent dialectal variation(s) Chinali is mother tongue of at the most 625 people who are well settled citizens of India and domiciled in the state of Himachal Pradesh.

Linguistic Demography


During the process of data elicitation for the present study, in December 2014, the number of native speakers was found 625 across the state of Himachal Pradesh. Following table reads the respective number of speakers found in each area.

NAME OF THE AREA	NUMBER OF SPEAKERS
Triloknath	40
Tandi	85
Jhalma	90

Keylong	45
Shimla	30
Kullu	240
Manali	50
Dharamshala	45
TOTAL	625

Table 2. No. of Speakers in different areas of Himachal Pradesh

The readings of the above table can be shown in a line graph as follows:



From the depiction of above line graph, it is clear that the number of speakers are most present in Kullu district of Himachal Pradesh. The reason for it is that the speech community has performed inter-district migration some decades ago and are permanently residing there and earning their livelihood.

Findings and Observations

The following findings and observations were made after the analysis of the elicited data.

1. ATTITUDE TOWARDS THE LANGUAGE

As Sallabank (2013: 61) cites Baker (1992:13) laying emphasis upon the observation that the notions of attitudes, ideologies, motives, traits, beliefs, concepts, constructs and opinions are interrelated, adding that in studies, attitudes and motivation are treated synonymously,

without discussion of the level of overlap and difference (1992: 14), the present study, on the similar lines found the following percentage of two different attitudes towards Chinali by its native speakers.

- a) **NEGATIVE ATTITUDE:** Among the Chinals of Himachal Pradesh, 75% bear severely a negative attitude towards their mother tongue. This is analysed as the attitude shift due to two compelling reasons which otherwise create identity crisis among them thereby a sense of insecurity.
- b) **POSITIVE ATTITUDE:** 25% Chinals possess a positive attitude towards their language that showcases their affection towards the language for they believe their language being closely related to Sanskrit which is popular in India as the language of gods.


DOMAINS OF LANGUAGE USE IN DIFFERENT SITUATIONS

Generally, the Chinals have certain restricted domains of use. These domains include 85% household usage among older generations, about 10% usage in community gatherings like festivals and meetings where the participants are exclusively the Chinals, 3% at workplaces like farming and 2% usage at other places. The following table briefs it as:

S. No.	DOMAIN OF THE LANGUAGE USE	PERCENTAGE
01.	Household settings	90
02.	Community gatherings	10
03.	Work places	03
04.	Other social settings	02

Table 3. Percentage usage of the language in various social domains

Further, it is depicted by the following line graph also.




a) ACROSS GENERATIONS

Since Chinali is spoken mostly by older or more precisely the oldest generation of the community. However, the following percentage of its usage across generations has been found:

S. NO.	GENERATION	PERCENTAGE
01	Children	0
02	Adolescents	5
03	Adults	25
04	Old	70

Table 4. Percentage of language use across generations

A line graph depicts this percentage as following:



Proficiency of Other Languages by the Community

Apart from Chinali language, the Chinals have profeciency in Lahuli, Kulvi, Hindi and English. The folowing table gives the description.

LANGUAGE	READING	WRITING	SPEAKING	UNDERSTANDING
Lahuli	Good	Good	Excellent	Excellent

Kulvi	Good	Good	Excellent	Excellent
Hindi	Good	Good	Very good	Very good
English	Good	Average	Good	Good

Table 5. Proficiency of other Languages

Discussion

Chinali has not been listed in the latest Census of Languages in India i.e. Census of 2001. In its *List of Endangered Languages in India*, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) also does not enlist the language. However, the last survey report by Ethnologue, pertaining to Chinali, published in the year 1996 reads the number of its native speakers as 750 inhabiting Himachal Pradesh which has diminished further and is 625 at present. Here it calls for the updating of data by Ethnologue. But the population of Chinals in Himachal Pradesh have increased following the overall trend in increase in population of India. This demographic increase of Chinals raise queries for the decreasing of Chinali native speakers. This decrease can be explained in the light of above-mentioned negative attitude of the Chinali speech community towards their language.

One of the reasons is that the word *Chinal* (the name of the community) amounts to the meaning of scavenger in Hindi which is realized in Indian societies as a down trodden group of people used to perform the last rites of the dead like burning the corpses etc. and perform odd jobs like cleaning of latrines. Because of this notion for them being Chinal they are always at the receiving end of societal discrimination. In other words, they are treated as Dalits of rest of India. The next reason for this attitude lies in the pronunciation of the word /t inal/. If it is pronounced as /t hinal/ then it may mean a „whore“. Thus, if it is /t inal/ then it is disgrace to males and if /t hinal/ then it is against the chastity of their women.

Apart from these, the strong force leading to language shift by shift in attitude is language planning by the government where a language gets enough power to dominate other languages. In Indian context the non-scheduled languages are always pushed to back burner to extinct and die. In Himachal Pradesh Hindi plays the role of dominating language for its wider usage than any other language present there.

As it is concluded from the data contained in table 4, mentioned above, the usage of Chinali has now stopped completely in children which means the language is at *moribund* stage of endangerment as per UNESCO's grading of endangered languages. The children are raised with Hindi as their mother tongue. Also, table 5 shows the affinity of the community towards other local languages, popularly known as *Kulvi* and *Lahuli*. But this affinity that makes them Excellent from very good in terms of proficiency is pure a language contact situation and a case

of inclusive behaviour which the community prefers in order to shun their hapless identity of being Chinal and therefore to be merged with other communities they live with.

Conclusion and Suggestions

The data elicited from the various native speakers of Chinali Language have confirmed after elicitation that the language is critically endangered. So, for its preservation and protection in order to enhance its vitality for promotion of sustenance three agencies viz. the Government, the Linguists and language experts and the community themselves have to set a collective agenda. This can be primarily met with the documentation with an aim to document the language at its superlative degree. Moreover, it can be introduced to curriculum and used as medium of instruction, at least, at primary levels. Since, the language has already a script, the knowledge it contains in any form, can be shaped into books for teaching and learning processes. Mass media can provide spaces at different levels to enhance the vitality.

For linguists and language experts, there are various methods for enhancing the vitality of a language. The need is to assess the vitality index of Chinali periodically on a regular basis so that the language may not extinct and die.

As the introduction of this paper read Human beings being social. Chinals also live in societies and as is concluded from the reasons for their negative attitude to the language they no longer want have such a linguistic identity. I suggest for changing name of the language from Chinali to Chinabi in order to enhance motivation and reverse the attitude.

References:

- Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2019. *Ethnologue: Languages of the World*. Twenty-second edition. Dallas, Texas: SIL Internationala. Retrieved August 30, 2019, from Ethnologue: Languages of the World: <https://www.ethnologue.com/language>
- Cook 1992 the discourse of advertising, Routledge
- Reaume, G. 2000, Voices of Madness: Four Pamphlets, 1683-1796,
[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6696\(200021\)36:2<180::AID-JHBS9>3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6696(200021)36:2<180::AID-JHBS9>3.0.CO;2-P)
- Sallabank, J. 2013 Attitudes to Endangered Languages, Cambridge University, Press, p.61
- Sengupta, P, 2009 Endangered Languages: Some Concepts, Economic and Political Weekly, Vol .44.pp 17-19

छत्तीसगढ़ी लोक—साहित्य में ‘हाना’ की उपादेयता

डॉ. (श्रीमती) आरती पाठक

सहाय्यापक,

साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

artipathak81@gmail.com

“लोकसाहित्यरत्नानां लोकसाहित्य सागरात ।

समुद्रारः संकलनं कर्तव्यः लोकसेवकैः ।”¹

प्रस्तावना :

‘लोक—साहित्य’ शब्द आज अंग्रेजी के थर्सा रपजमतंजनतम शब्द के अर्थ में व्यवहृत होता है। यह लोक, लोग या थर्सा समाज के प्रत्येक सदस्य की प्रतीति नहीं करता, सम्प्रति इसका अर्थ समाज के उस सदस्य से लिया जाता है ‘जो नागरिक संस्कृति एवं साविधिक शिक्षा के इतर एक विशिष्ट परंपरा की धारा में तैरता हुआ चलता है। उन्हें ही ‘लोक—रीति’ नाम दिया गया है। लोक—रीतियों की अभिव्यंजना जहाँ सरकृत एवं परिष्कृत स्वरूप में होती है, वहीं लोक—साहित्य का जन्म होता है। यह लोक—साहित्य ही समाज की मौखिक रूप में भावमय अभिव्यक्ति करता है, यह रीति का प्रतिबिम्ब है। इसका जन्म सृष्टि के जन्म के साथ हुआ, इसका विकास भी उसी के समानान्तर होता गया।² मानव—विकास की क्रमिक कहानी इस साहित्य में मुखरित है। यह वर्तमान, उन्नत एवं कलात्मक साहित्य का जनक है। लोक—साहित्य वस्तुतः सहज—सामान्य, नगरी सम्यता से परे, भोले—भाले जनता की आशा—निराशा, हर्ष—विषाद, सुख—दुख आदि की अभिव्यंजना करता है।

लोक—साहित्य लोक—जीवन के महत्वपूर्ण अग होते हैं। छत्तीसगढ़ लोक—साहित्य से भरापूरा अंचल है। हमारे इस बमृद्ध अंचल पर यह खतरा निरंतर हावी हो रहा है कि नगर जीवन—शैली की चपेट में ये लोक—साहित्य कहीं खो न जाएं, जीवन—मूल्यों में तेजी से हो रहे परिवर्तन कहीं उन्हें अप्रासंगिक न बना दें। इन परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें सहेज करके रखें।

“फाउंडेशन आफ लैंग्वेज में वर्णित ग्रे के अनुसार द्वनिया में 2786 भाषाएँ बोली जाती हैं।”³ इनमें से अधिकांश भाषाओं के उचित सामग्री के होते हुए भी पर्याप्त शोध न होने के कारण जिनका अध्ययन तथा वर्गीकरण नहीं हो पाता है और वे एक समय नष्ट हो जाती हैं।

“लोक शब्द की उत्पत्ति ‘लोक—दर्शन’ धातु के ‘धज’ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है।”⁴ इस धातु का अर्थ ‘देखना’ है। वेदों में ‘लोक’ शब्द आम जनता के अर्थ में

ग्रहण किया जाता है। भगवद्गीता में लोक शब्द इसी अर्थ में प्राप्त होता है। उपनिषदों में दो लोक माने गए हैं— (1) इहलोक, (2) परलोक। आधुनिक शब्दकोश में 'लोक' के आठ अर्थ दिए गए हैं— (1) जगत् (2) स्थान (3) प्रदेश (4) दिशा (5) लोग (6) प्राणी (7) यश (8) समाज।

"हिंदी में 'लोक' शब्द के लिए 'लोक' जिसका अर्थ है 'सामान्य-जन'। लोक-साहित्य के विशिष्ट अध्ययन हेतु लोक 'शब्द' के दो अर्थ-विस्तार हुए— (1) विश्व या समाज (2) सामान्य जन-साहित्य।"⁵ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार— 'लोक शब्द का अर्थ नगरों और ग्रामों तक फैली हुई समूची जनता से है अतएव गीति के साथ 'लोक' शब्द जोड़ना कतई आपत्तिजनक नहीं है।"⁶ संक्षेप में 'लोक' शब्द आज के आधुनिक वातावरण, आधुनिक सभ्यता से पूर्व आम लोगों के मनोभावों, मनोवेगों के उत्प्रेरक और अभिव्यक्तिपरक मनोवृत्ति है, जो विरासत है, पूँजी है हम सभी की।

साहित्य

राजशेखर ने साहित्य को इस प्रकार परिभृति करते हैं— "शब्द और अर्थ के यथायोग्य सहयोग वाली विधा साहित्य है।"⁷ नोबेल पुरस्कार विजेता कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य की व्याख्या इस प्रकार की है— "साहित्य शब्द से साहित्य मिलने का एक भाव देखा जाता है। यह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, ग्रंथ-ग्रंथ का मिलान नहीं, बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यंत अंतरंग मिलन भी है, जो कि साहित्य के अतिरिक्त अन्य से संभव नहीं है।"⁸ आज हमारे दैनिक आचार-विचार में साहित्य शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक हो गया है।

लोक-साहित्य

लोक-साहित्य में लोक-जीवन प्रतिविम्बित होता है। प्रकृति ने जब से मानव को भाषा दी, तभी से वह अपने भावों को प्रकाशित करने का साधन पाकर हर्षाल्लासित हो उठा, उसे अपनी समस्त भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम मिल गया। लोक-साहित्य की परिभाषा अनेकानेक प्रकार से की गई है, किंतु साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि 'मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत, कथानक, कहावतें, पहेलियाँ लोक-साहित्य कहे जाते हैं। भारतवर्ष का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य वेद है। वेद अपौरुषेय तथा अलिखित है। इसी कारण वे 'श्रुति' कहे जाते हैं। वे श्रवण परंपरा से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आए हैं। बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया।'⁹ लोक-साहित्य की प्रवृत्ति में सभ्यताओं, इतिहास, समाजलोकाचार, सरलता, सरसता, अकृत्रिमता, कहावतें, गीत, धर्मगाथा, संस्कृति, लोक-चेतना, जनमानसिय प्रतिविम्बित होते हैं,

साथ—ही—साथ लयात्मकता एवं संगीतबद्धता का अतुलनीय संगम भी लोक—साहित्य में द्रष्टव्य है। अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि ‘लोक—साहित्य के संस्कार से ही परिनिष्ठित साहित्य का जन्म हुआ। इस परिनिष्ठित साहित्य का लोक—साहित्य और लोक—मानस से जितना घना संबंध था, उतना ही वह रसमय और सशक्त हुआ।’¹⁰

छत्तीसगढ़ : परिचय

छत्तीसगढ़ के नाम के संदर्भ में अनेक मत प्रस्तुत होते हैं। इसे प्राचीन काल में कोसल, महाकासल और दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ बालिमकी रामायण में दो कोसल का उल्लेख है— (1) उत्तर कोसल, (2) दक्षिण कोसल। रामायण के अनुसार दण्डकारण्य की स्थिति इसी क्षेत्र में मानी जाती है। डॉ. हीरालाल शुक्ल ने लिखा है कि “कदाचित् चेदिसगढ़ का अपभ्रंश रूप है ‘छत्तीसगढ़’। रत्नपुर के शासक चेदि कहलाते थे और उनके द्वारा बलाया गया संवत् भी ‘चेदि’ संवत् कहलाता था। इसका प्रमाण बिलासपुर जिले के ‘अमोदी ग्राम’ में प्राप्त एक ताम्रलेख है, इसके अंत में चेदिसस्य संवत् 831 अंकित है। किसी भी क्षेत्र विशेष पर अधिकार करने वाले शासक के नाम पर उसके नामकरण की परंपरा रही है।”¹¹ छत्तीसगढ़ में हैह्यवंशी, मराठों ने भी शासन किया और सुरक्षा की दृष्टि से अनेक गढ़ों का निर्माण कराया। अनेक गढ़ों या दुर्गों के कारण भी इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसी एक लोक—मान्यता है।

छत्तीसगढ़ी भाषा

विश्व की सभी भाषाएँ जिस प्रकार उस देश, राज्य, क्षेत्र की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता का केंद्र—बिंदु है। यह यहाँ की जन—सामान्य, जन—मानस की जन—भाषा है, लोक—भाषा है। यहाँ के सांस्कृतिक वैभव, ऐतिहासिक संपन्नता, अद्भुत दण्डकारण्य के साथ—ही—साथ भौगोलिक, सामाजिक—संरचना को समझने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा से एकाकार होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही वह धुरी है, जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति से तादात्म्यता स्थापित कर पाएँगे। छत्तीसगढ़ी भाषा सरस, सरल, प्रवाहमयी और लचीली होने के कारण ब्रजभाषा की तरह मधुर भी है। इसकी उत्पत्ति अर्ध—मागधी, अपभ्रंश से हुई है। यह पूर्वी—हिंदी की उपभाषा है। “छत्तीसगढ़ी भाषा का अपना सुव्यवस्थित व्याकरण है, जिसे सन् 1885 में हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा था, जबकि खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण सन् 1910 में काममता प्रसाद गुरु ने लिखा, जिसे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने छापा था।”¹² इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का अस्तित्व पुरातन काल से रहा है। प्राचीन काल में इसे ‘कोसली’ अथवा ‘महाकोसली’ भाषा कहा जाता था। छत्तीसगढ़ी भाषा अंतर्राज्यीय

भाषा है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिंचोली, भंडारा में, मध्यप्रदेश के बालाघाट, मंडला, शहडोल में, उड़ीसा के खरियार, संबलपुर, सुंरदगढ़ में बोली जाती है, साथ-ही असम, नागपुर एवं दिल्ली में छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़वासी बोलते हैं।

चत्तीसगढ़ी भाषा की उपभाषाएँ

विभिन्न भाषावैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा के उपभाषाओं का वर्णन किया—

आरेख क्र. 1

“छत्तीसगढ़ी भाषा की उपभाषाएं”

विंडावारी सदरी-कोरवा मुलिया कलंगा सरगुजिहा सतनामी खल्टाहे लरिया बैंगानी हलबी¹³

‘हाना’ (लोकोवित्तयाँ)

छत्तीसगढ़ी के प्रकीर्ण लोक-साहित्य के अंतर्गत 'हाना' का विशेष स्थान है। छत्तीसगढ़ी लोक-साहित्य में 'हाना' सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। 'हाना' को लोकोक्तियाँ या कहावतें कहा जाता है। 'हाना' छत्तीसगढ़ी शब्द है। 'हाना' किसी भाषा की समुद्दि का दयोतक है। हजारों वर्षों के अनुभव एवं ज्ञानस्वरूप 'हाना' (लोकोक्तियों) का जन्म होता है। 'हाना' की प्रमुख विशेषता है 'संक्षिप्तता में सारगर्भित होना'। इसे लोक-जीवन का नीतिशास्त्र कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन में संघर्ष और सुखमयता भी मिश्रित अनुभूति 'हाना' का रूप धारण करती है और परंपरागत थाती के रूप में 'हाना' पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक वाच के माध्यम से समाज में चलायमान रहता है। कहावतें विद्वानों की प्रज्ञा उक्ति नहीं होती, बल्कि वह लोक-जीवन से संबंध रखनेवाली लोक की उक्ति होती है लोक-मानस जिस बात को मानता है, सोचता है अथवा ग्रहण करता है, उसी को व्यक्ति ने किसी मनोरम उक्ति के रूप में जड़ दिया होगा, इससे लोक-मानस में तादात्म्य पैदा होता है। "हाना में जन-जन का तपा हुआ ज्ञानानुभव होता है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में सदैव खरा उत्तरता है। लोकोक्तियों में रंजकता तो होती है, साथ-ही सत्य-असत्य के खंडन-मंडन की पुरजोर शक्ति भी होती है। सरल कसी हुई भाषा, प्रभावोत्पादक शैली लोकरंजन ही लोकोक्तियों की प्रमुख विशेषता रही है।'¹⁴

छत्तीसगढ़ी 'हाना' एवं उसका वर्गीकरण

छत्तीसगढ़ी लोक-साहित्य के 'हाना' में नर-नारी, धन्य-धान्य, पशु-पर्वत, नदी, विधवा-सधवा, किसान, बालक, चर्मकार, द्विज सभी धरा से लेकर आकाश तक के विषय अंतर्निहित रहते हैं। "भालचंद तैलंग ने अपने शोध-प्रबन्ध "छत्तीसगढ़ी, हलबी,

भतरी बोलियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन” में छत्तीसगढ़ी ‘हाना’ का निम्नांकित वर्गीकरण किया है— कथासूत्र, ऐतिहासिक लघुवाक्य उकितायाँ, जातिगत स्थानागत, खेती संबंधी, अनुभवजन्य, उपदेश, परिस्थिति सूचक, सूचन और आलोचना।”¹⁵

छत्तीसगढ़ी ‘हाना’ को दृष्टि में रखकर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है— (1) प्रकृति संबंधी हाना (2) कृषि संबंधी हाना (3) पशु—पक्षी संबंधी हाना (4) समाज संबंधी हाना (5) गृह संबंधी हाना (6) शरीर संबंधी हाना (7) विश्वास और अंधविश्वास संबंधी हाना (8) मनोविज्ञान संबंधी हाना (9) हास्य—विनोद संबंधी हाना (10) अश्लीलता संबंधी हाना (11) इतिहास संबंधी हाना।

‘हाना’ के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(1) प्रकृति संबंधी हाना— “भुरवा बादर जी डेरवाय, करिया बादर पानी लाय।”

अर्थात्— भूरा बादल जी को डराता है, परंतु काला बादल पानी बरसाता है।

(2) कृषि संबंध हाना— “करिया माटी मटासी खेत, तेकर धान ला जा के देख।”

अर्थात्— जिस खेत की मिट्टी काली और मटासी रंग की होती है, वहाँ भी फसल देखते ही बनती है।

(3) सामाजिक हाना— “कूद—कूद भरे बजनिया बर पावे कनया।”

अर्थात्— वाद्यकार खूब श्रम से बाजा बजाता है और दूल्हा वधु पाता है।

(4) नीति संबंधी हाना— “आड़ न काड़ मांझा मं डाढ़।”

अर्थात्— काम—धाम कुछ नहीं करना पर जब हिस्से की बात आती है, तो पूरा हिस्सा चाहिए।

(5) मनोविज्ञान संबंधी हाना— “हपटे बन क पथरा, फोरे घर के सील।”

अर्थात्— बन के पथर से ठोकर लगी तो क्रोध में घर के सील (पथर) को फोड़कर आत्म—सांतवना देते रहना।

(6) हास्य—विनोद हाना— “ओढ़े बर ओढ़ना नी बिछाय बर बिछौना, बिहाव बर देखे रतनपुर के कइना।”

अर्थात्— ओढ़ने को चादर नहीं, बिछाने को कोई बिछौना (गददा) नहीं है, परंतु फिर भी शादी के लिए एक उच्च कुल की कन्या को ढूँढ़ना।

‘हाना’ सारगर्भित, उद्देश्यमूलक, शिक्षा, कौतुहल को शांत करने के लिए तो है ही, साथ—ही—साथ बुद्धि को तराशने का भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। मेक्सिम गोर्की के शब्दों में— “कहावतें और मुहावरें श्रमिक जनता की संपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक अनुभूतियों

के संक्षिप्त रूप हैं।¹⁶ 'हाना' में जीवन की समस्त तत्वों की खरी व्याख्या छिपी रहती है। आज हम अपने लोक-साहित्य को प्रबलता से प्रधानता देते हुए इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आ रहे हैं, यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और समाज के लिए शुभ-संकेत है, साथ-ही-साथ इससे शिष्ट साहित्य का भविष्य भी अच्छा प्रतीत होता है।

संदर्भ ग्रंथ—सूची

1. उपाध्याय, कृष्णदेव. लोक-संस्कृति की रूपरेखा. पृ. 1.
2. जमालुद्दीन. व्यंजना. अभिनंदन अंक, हिंदी साहित्य परिषद, दुर्गा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), पृ. 38–43.
3. देसाई, डॉ. बापूराव. लोक-साहित्यशास्त्र. विकास प्रकाशन, कानपुर, पृ. 13.
4. सिद्धांत कौमुदी. वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, पृ. 417.
5. देसाई, डॉ. बापूराव. यथोपरि, पृ. 14.
6. द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद. 'जनपद'. वर्ष-1, अंक-1, पृ. 65.
7. देसाई, डॉ. बापूराव. यथोपरि, पृ. 14.
8. यथोपरि.
9. सिंह, बैजनाथ 'विनोद'. भोजपुरी लोक-साहित्य : एक अध्ययन. ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना, प्रथम संस्करण, सितम्बर 1958, पृ. 219.
10. यथोपरि, पृ. 235.
11. नायक, वसंत. अतीत के पन्ने (रायपुर के विशेष संदर्भ में). नव छत्तीसगढ़ी अकादमी, रायपुर (छ.ग.), प्रथम संस्करण, 2004, पृ. 4–5.
12. ठाकुर हरि, शर्मा, पालेश्वर. छत्तीसगढ़ की लोकभाषा : छत्तीसगढ़ी शिक्षादूत ग्रंथागार प्रकाशन, रायपुर (छ.ग.), पृ. 5.
13. दुबे, डॉ. व्यासनारायण. छत्तीसगढ़ी जनभाषा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), प्रथम संस्करण, 2004, पृ. 27.
14. निरगुणे, वसंत. लोक-संस्कृति. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, चतुर्थ संस्करण, 2004, पृ. 113–14.
15. साहू, डॉ. विहारी लाल. छत्तीसगढ़ी भाषा और लोक-साहित्य. भावना प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003, पृ. 153–54.
16. निरगुणे, वसंत. यथोपरि, पृ. 114.

‘लोक गीतों में प्रतीक परम्परा’

डॉ० अन्जू भारती
 प्रवक्ता (अंशकालिक) माषाविज्ञान
 विभाग
 डॉ० सम्पूर्णानन्द संस्कृत
 विश्वविद्यालय, वाराणसी

सार :

‘लोकसंस्कृति’ की धरोहर ‘लोकसंगीत’ अनादि काल से मानव जीवन से सम्बद्ध है। मानव संस्कृति का विकास प्रारम्भ से ही दो धाराओं में विभक्त रहा है। प्रथम तो लोक संस्कृति जो जनसाधारण से युक्त है तथा द्वितीय ‘अभिजात्य संस्कृति’ जो विशिष्टजनों से शोभायमान है। मानव संस्कृति के ये दोनों ही रूप जनजीवन से सम्बद्ध होकर स्वभाविक उन्मुक्त वातावरण में समर्धित होने के कारण लोकसंस्कृति मानव प्रकृति के अत्यधिक निकट है।

‘लोकसंगीत’ अथवा ‘लोकगीत’ को मुह बोलते चित्र कहा गया है। ‘लोकगीत’ एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मानवीय मनोभाव अनायास ही अभिव्यंजित हो उठते हैं। मनुष्य के सूख-दूःख, विषाद मूलक मनोभावों के आरोह-अवरोह का रसात्मक अभिव्यंजना के रूप में यह ‘लाकगीत’ ‘लोक वाङ्मय’ की धरोहर है। लोरियों में झूलता एवं सोता हुआ बचपन से लेकर विरह अनुराग एवं वैराग्य से उद्बोधित वार्धक्य आदि सभी कुछ तो ‘लोकगीतों’ के भाव जगत में ही समाया हुआ है। विरह अथवा वियोग से आप्लादित गीत का एक अंश दृष्टव्य है—

“आधी-आधी रतिया, बोलेले कोइलरिया,
चिहुकि उठे गोरिया सेजरिया से ठाढ़”।

(मोलानाथ गहमरी—मोजपुरी बयार)

अतः लोकगीत सदा से ही समाज के दर्पण के रूप में प्रतिविम्बित होते चले आ रहे हैं।

‘लोक गीतों में प्रतीक परम्परा’

प्राचीन काल से ही मानव संस्कृति का विकास दो मुख्य धाराओं में विभक्त रहा है। प्रथम तो जनसाधारण की, जो लोकसंस्कृति की संज्ञा से अभिहित है और द्वितीय विशिष्टजनों की जिसे अभिजात संस्कृति कहते हैं। यद्यपि मानव संस्कृति के ये दोनों ही रूप जन—जीवन से ही सम्बद्ध हैं तथापि स्वाभाविक उन्मुक्त वातावरण में पृष्ठित पल्लवित होने के कारण लोक संस्कृति मानव प्रकृति के अधिक निकट है।

लोकसंस्कृति की धरोहर लोक संगीत अनादिकाल से मानव जीवन से सम्बद्ध है। यद्यपि संगीत आत्मा की औषधि है तथापि आत्म—तत्त्व को पुष्ट और सम्वर्धित करने वाला है — ‘लोकसंगीत’। लोकसंगीत अर्थात् लोक का लोक के लिए लोक द्वारा निर्मित संगीत लोक का तात्पर्य यहाँ आम जन—समूह से है।

'लोकसंगीत' वह सहज संगीत है जहाँ आडम्बर और विचित्रता को स्थान नहीं है, कोमलकान्त पदावली व सहज, सरल स्वरावली में भावों का सूक्ष्म एवं मार्मिक चित्रण इन्हें महाकाव्यों से भी आगे कर प्रस्तुत करता है। चक्की (जाँता) पीसते, बर्तन माजते, धान रोपते, गुड़ाई निराई करते एवं खेत-खलिहानों की रखवाली करते अम्मा, दादी, नानी, चाची के मन में जो भी एवं जब भी भावलहरी उठी 'लोकसंगीत' बन गया। यह मनोभाव ध्वनियों एवं शब्दों का आश्रय लेते हुए एक कड़ी बनी और देखते ही देखते कड़ियों का समूह बन गया तथा अल्हड़ एवं सहज जनमानस उसे गा उठा। न तो भाषा की वैज्ञानिकता एवं विश्लेषण का झंझट और न ही जटिल संगीत का बोझ संगत के लिये ढोल, कटोरा, थाली इत्यादि बर्तनों का सहयोग, घण्टों के आयोजन इन्हीं में सिमट जाते थे। ढोल की थाप के साथ नर्तकी की ऐसी जुगलबन्दी चलती कि देखने वाले लोग ठगे से रह जाते हैं।

'लोकसंगीत' मानव मन की अनुभूतियों की सरस एवं रागात्मक अभिव्यंजना का लयात्मक उपहार है। लोक संस्कृति की सच्ची मधुर मनमोहक तथा स्वरमूला अभिव्यक्ति को ही लोक संगीत की संज्ञा से अलंकृत किया जाता है। यह लोक आस्था एवं लोकानुभूत सत्य का सहज नैसर्गिक एवं अकृत्रिम गीतात्मक उदगार ही 'लोकसंगीत' विषय वैविध्य के अलंकरण से शोभायमान है। मनुष्य के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, मूलक मनोवेगों के आरोह- अवरोह का रसात्मक अभिव्यंजना के रूप में यह 'लोकगीत' लोकवाड्मय की अनमोल धरोहर एवं थाती है। लोरियों में झूलता एवं सोता हुआ 'बचपन' प्रेमोन्माद के संयोग रंग में आकण्ठ निमज्जित 'यौवन', विरह

से उद्वीप्त 'अनुराग' वैराग्यबोध से उद्बोधित 'वार्धक्य' आदि सभी कुछ तो लोक गीतों के भाव जगत में ही समाया हुआ है जो सदा से समाज के दर्पण के रूप में प्रतिविभित होता चला आ रहा है।

हिन्दी भाषा में अनेक बोलियाँ विद्यमान एवं प्रचलित हैं जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, जैसे—राजस्थान में राजस्थानी, बुन्देलखण्ड में बुन्देली, अवध प्रान्त में अवधी तथा उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली इत्यादि। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भोजपुरी बोली का स्थान हिन्दी भाषा साहित्य में सर्वोपरि है। भारतवर्ष में बोली जाने वाली बोलियों में सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रयोग में लाई जाने वाली बोली अथवा भाषा 'भोजपुरी' ही है। पूरब के ग्रामीण अथवा कृषि प्रधान क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए 'लोकगीत' एक सशक्त माध्यम की भूमिका का निर्वहन करते हैं। विशेष पर्वों—त्योहारों पर स्त्री एवं पुरुष दोनों ही लोकगीतों को गाते— बजाते हैं जैसे—होली अथवा फगुवा के गीत इत्यादि। इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ ऋतु सम्बन्धी अनेक गीतों को गाती हैं जैसे— रोपनी के गीत, सावन एवं झूला के गीत, मेला गीत इत्यादि। इसमें स्त्रियों की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कदाचित् अधिक देखने को मिलती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियाँ अपने दैनन्दिन के कार्यों की थकान एवं बोझिलता का कतिपय कम करने के लिये ही लोकगीतों का सहारा लेती है और मनोरंजित होकर पुनः ऊर्जा को स्वयं में संचरित कर कार्य के प्रति अग्रगामी हो उठती है। स्त्रियाँ अपने मन के भावों— उत्साह, हर्षोल्लास, खुशी, दुःख—दर्द इत्यादि को लोकगीतों के माध्यम से अत्यन्त सहज ढंग से अभिव्यक्त कर देती हैं।

भोजपुरी लोकगीतों का जब भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोण से समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि भाषाविज्ञान के महत्वपूर्ण शाखा शैलीविज्ञान के अनेक आयाम अथवा उपकरण यहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। इन उपकरणों में एक महत्वपूर्ण उपकरण “प्रतीक” है जिसके आधार पर भोजपुरी लोकगीतों के कुछ उदाहरणों को लेकर शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में ‘प्रतीक’ क्या है इसपर भी संक्षेप में प्रकाश डालना समीचीन होगा।

प्रतीक –

'प्रतीक' शैली का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अति आर्कषक उपकरण है जिसका अर्थ है— "वह जो परम्परा अथवा रुढ़ि आदि के कारण किसी और को द्योतित करे।" उदाहरण हेतु — 'शेर' यदि 'वीरता' को प्रदर्शित अथवा द्योतित करता है तो 'सियार' 'कायरता' अथवा 'कमजोरी' को अभिव्यक्त करता है। भोजपुरी लोक साहित्य इस प्रकार के प्रतीकों से भरा पड़ा है। कौवे का बोलना किसी अतिथि के आने का संकेत करता है तो आँखों का 'फड़कना' शकुन अथवा अपशकुन का प्रतीक है।

एक सावन गीज जिसमें एक व्याहता स्त्री अपने पति के घर रहते हुए विवाहोपरान्त प्रथम सावनोत्सव के अवसर पर मायके जाना चाहती है किन्तु मायके से कोई लेने नहीं आता है अतः वह स्त्री अपने घर के पीछे स्थित लौंग की वृक्ष पर बैठे एक कौवे से अपने हृदय के विह्वलता को बढ़े ही मार्मिक ढंग से कहती है—

"मोरे पिछुवरवाँ लवँगिया क पेडवा नैना फरके रे गोरिया
कगवा बोले ला बिरही बोलिया रे नैना फरके रे गारिया
तुँहके मो देवों कागा दुध—मात खोरवों नैना फरके रे गोरिया
भइया जे अझें अवनरवा रे नैना फरके रे गोरिया
एतनी बचन बहुवर कहई न पउली नैना फरके रे गारिया
भईया लवँग तर ठाढ रे नैना फरके रे गोरिया।"

उपरोक्त उदाहरण में यह बात ध्यातव्य है कि कौवा एक पक्षी है न कि व्यक्ति जो मानवीय व्यथा या संदश को समझ सके

किन्तु यहाँ यह एक उत्कृष्ट मानव मित्र एवं संदेशवाहक के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है।

इसी प्रकार आँख का फड़कना शुभ एवं अशुभ को संकेतित करता है। लोकजन में यह प्रचलित है कि स्त्री की दाहिनी आँख फड़के तो अशुभ समाचार प्राप्त होता है और बायीं आँख फड़के तो शुभ समाचार। प्रस्तुत उदाहरण में मात्र आँख फड़कने की बात कही गयी है दाहिनी कि बायीं इस बात की पुष्टि नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री भाई के आने का बाट जोह रही है किन्तु उसका आना एवं न आना निश्चित नहीं है। अतः यहाँ आँख या नयन का फड़कना शुभाशुभ (भाई के आने या न आने) का प्रतीक रूप में द्योतन है।

ऋत् सम्बन्धित लोकगीतों के संदर्भ में होली और चैती दोनों क्रमशः पुरुष और स्त्री का प्रतीक है ऐसा लोक साहित्य में वर्णन प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना “मेघदूतम्” में चैत्र मास को मधुमास कहकर सम्बोधित किया है। ‘कादम्बरी’ में बाणभट्ट ने भी मधुमास शब्द का प्रयोग किया है। उपरोक्त दोनों मधुमास शब्द प्रेमोन्माद के ‘प्रतीक’ के रूप में ही प्रयोग किये गये हैं।

चैती का एक उदाहरण दृष्टव्य है –

“अँगना खिले ला फूलगेनवा हो रामा पिया नाही अइलै
मोजरल बगिया में कोइलर बोले
चूवत महुआ मधुर रस घोले
मधुवन में कुसुम फूलइलै हो रामा भैंवरा लोभइल”।

प्रस्तुत उदाहरण श्रृंगार रस से सराबोर है जहाँ एक ओर लोकगीत के सामान्य अर्थ के स्तर पर सीधा—सीधा अर्थ फूल, बगिया, महुआ, कोयल, भौंवरा आदि प्राकृतिक छेंटाओं की बात कही गयी है वहीं भावपरक अर्थ के स्तर पर पूरा का पूरा उदाहरण नायिक की अनुपस्थिति में नायिका के यौवन एवं प्रेमोन्माद की अभिव्यजना कर रहा है।

‘कुसुम’ जहाँ एक अर्थ में अधखिला पुष्प अथवा कलो है वहीं दूसरे अर्थ में सुकुमारी नायिका का प्रतीक है और ‘फुलइलै’ का एक अर्थ खिलना है तो दूसरा अर्थ नायिका के यौवन (शारीरिक विकास) से है। यदि कलो अविकसित या अपरिपक्वता का प्रतीक है तो खिलना यौवन अथवा परिपक्वता का प्रतीक है तथा ‘मोजरल’, ‘महुआ मधुर रस’ मादक प्रेमरस का प्रतीक है।

प्रस्तुत उदाहरण में निहित भौंवरा शब्द प्रिय का प्रतीक है जो खिले कुसुम हेतु लालायित है।

साहित्यों में भौंवरा शब्द प्रिय के अतिरिक्त आत्मा का भी प्रतीक माना जाता है। निर्गुण काव्यधारा के अन्तर्गत इसके अनेकानेक प्रयोग प्राप्त होते हैं। एक निर्गुण गीत उदाहरण स्वरूप में दृष्टव्य है – “भौंवरवा के तोहरा संग जाई”।

यहाँ भौंवरवा (भौंवरा) आत्मा के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित है।

इस प्रकार ऐसे अनेक लोकगीत हैं जिनमें प्रतीक के पुट दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त बिम्ब, अप्रस्तुत इत्यादि आयामों से भी पुष्ट हैं—“लोकगीत”।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि 'मानवीय जीवन के सहजात, स्वाभाविक, स्वतः प्रवृत्ति ही 'लोकगीत' है जिसमें विद्यमान अनेकानेक सदेशों एवं आदर्शों के सहारे 'लोकसंस्कृति' सहसों वर्षों से अक्षुण्ण रीति से चली आ रही है।

भाषिक परसंस्कृतिग्रहण: दारमा भाषा के विशेष संदर्भ में

डॉ. विष्णु कुमार सिंह

भाषाविज्ञान विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय

भोटिया जनजाति के लोग उत्तराखण्ड के तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में निवास करते हैं। इन्हें शौका या रड़ के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पिथौरागढ़ (धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट विकासखण्ड) में निवास करते हैं। धारचूला का भोटिया जनजातीय क्षेत्र तीन घाटियों दारमा, ब्यांश और चौदांश में विभाजित है और यहां की भाषा को क्रमशः दारमा, ब्यांशी और चौदांशी कहते हैं। दारमा के इस शौका क्षेत्र को उत्तर एंव पूर्व की ओर चीन (तिब्बत) और नेपाल की सीमाएं अलग करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली काली नदी की सहायक नदी धौली का ऊपरी हिस्सा मल्ला और निचला भाग तल्ला दारमा कहलाता है। अधिक ठंड होने पर (नवम्बर से फरवरी) तक दारमा पट्टी के लोग धारचूला और उसके आस-पास स्थित अपने शीतकालीन आवासों में आ जाते हैं। दारमा में 19 गांव आते हैं, जिनमें से 14 मल्ला (ऊपरी) और 4 तल्ला (निचला) सम्मिलित हैं। सेला, चल, नागलिंग, बालिंग, बोन, फिलम, सौन, दुग्तू, दांतू, गौ, ढाकर, तिदांग, मार्छा और सीपू मल्ला तथा सोबला, तेजम, वतन, बोंगलिंग और दर तल्ला दारमा के गांव हैं। मल्ला दारमा में सर्दियों में तापमान बहुत कम हो जाता है इसलिए यहां के लोग सर्दियों में नीचे आ जाते हैं और यह धारचूला से लेकर बलुवाकोट स्थित अपने शीतकालीन आवासों में बस जाते हैं। तल्ला दारमा के गांव कम ऊँचाई पर हैं और यहां के लोग शीतकालीन प्रवास नहीं करते।

मूल ग्राम	शीतकालीन ग्राम	उपजाति
1. सीपू	गलाती	सीपाल
2. मार्छा	गलाती	मार्छाल
3. तीदांग	कालिका	तिर्तिंग्याल
4. गो	बलुवाकोट	ग्वाल
5. फिलम	छारछम	फिरमाल
6. ढाकर	गठ्याबगड़	ढकरियाल
7. बौन	छारछम, गोठी	बोनाल
8. दुग्तू	निगालपानी	दुगताल
9. बालिंग	गलाती	बनग्याल
10. सौन	निगालपानी	सोनाल

11. नागलिंग	गलाती	नंगन्याल
12. चल	दुबाट	चलाल
13. सेला	अंसीगड़ा	सेलाल
14. दर	स्थायी	दरियाल
15. बोलिंग	स्थायी	बडलमी
16. दांतू	जौलजीबी	दताल

बहुत से दारमा परिवार शीतकालीन आवास स्थलों में स्थाई रूप से रहने लगे हैं, वह अपने गांव की भूमि को त्याग चुके हैं, शीतकालीन आवास स्थलों में लोगों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है।

दारमा को अधिकतर विद्वानों ने तिब्बत-बर्मी परिवार में वर्गीकृत किया है, जार्ज ग्रियर्सन ने इसे तिब्बत-बर्मी उप परिवार की पश्चिमी हिमालय शाखा में रखा है। एक शौका का वास्तविक परिचय व्यापारी के रूप में मिलता है, व्यापार इनका पैतृक काम-धंधा है। टनकपुर से लेकर तिब्बत तक इनका व्यापार होता था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के तिब्बत से व्यापार समाप्त हो गया और इनका सम्पर्क कुमाऊंनी और हिन्दी से बढ़ा। दारमा में भाषा परिवृत्ति की स्थिति देखी जा सकती है। यहां ऐसे देवताओं की पूजा होती है जो व्यापार में सहायक हो यहां व्यापार के लिए पण तथा व्यापारी के लिए पणचा शब्द है।

1962 तक तिब्बत व्यापार पर निर्भर शौका लंबे समय तक नेपाल, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार की कड़ी के रूप में काम करते थे। सर्दियों में भारत से गर्म व सूती वस्त्र, अन्न, चीनी, चाय तथा अन्य घरेलू आवश्यकता की चीजें इकट्ठा कर मई जून के महीने में तिब्बत ले जाते थे। तिब्बत में व्यापार की कई मंडियां थीं, जिनमें तकलाकोट, मानसरोवर दरचेन प्रमुख थीं, तकलाकोट सबसे बड़ी मंडी थी। यहां शौका, तिब्बती और नेपाली व्यापारी अपने देशों से आकर व्यापार करते थे। मई से नवंबर तक इन व्यापार केंद्र में वस्तुओं की अदला बदली एवं क्रय-विक्रय होता था। तिब्बत से ऊन, सुहागा, बकरियां और ऊनी वस्त्र लेकर यह व्यापारी नवंबर या दिसंबर तक भारत लौट आते थे। 1962 के भारत-चीन युद्ध युद्ध से भारत-तिब्बत संधि समाप्त हो गई तब से भारतीय शौका व्यापारी चीनियों की अधिकृत क्षेत्र तिब्बत में नहीं जा सकते और इनका व्यापार सदैव के लिए छिन गया।

सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिचय

शौका कई उप जातियों में विभक्त हैं, प्रत्येक गांव के नाम पर उनकी उप जातियां बनी हुई हैं, उदाहरण स्वरूप -नागलिंग के नंगन्याल, सेला सेलाल, सीपू के सिपाल और मार्द्वा के मार्द्वाल। यहां की लोक कथाओं, लोकगीतों तथा मरण संस्कार संस्कार में भी उपजातियों का जिक्र आता है। गांव के नाम पर बनी

जातियां गांव भी पुनः कई उप जातियों में विभक्त हैं। ये उपजातियां राठ (गोत्र) कहलाती हैं, यह अलग-अलग गोत्रों को व्यक्ति करती हैं।

शौकाओं में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई प्रकार के संस्कार होते हैं। दारमा समाज में एक ओर तो देवताओं को उदार और शक्तिशाली तो क्रूर भी। मृत पूर्वज आत्माओं को भी यहां पूजा जाता है, यहां प्रकृति के हर भाग में पूर्वज आत्माओं का विश्वास किया जाता है। यह लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बलि प्रथा धार्मिक क्रियाओं का प्रमुख अंग है। धार्मिक क्रियाओं की प्रमुख वस्तुओं में बकरा, मदिरा, जौ के सत्तू व फाफर के आटे का केक (धलं) है। पूजा स्थलों मंदिरों पर मूर्तियों के अपेक्षा लिंग दिखायी देते हैं। शौका लोग आत्मा में विश्वास करते हैं। यह आत्माएं (सिमी-) भूत, प्रेत, चुड़ैल और देव आदि बिना शरीर की होती हैं, परंतु यह मनुष्य की भाँति या मनुष्य से बढ़कर कार्य कर सकती हैं। शौका समाज में शनिवार को किसी स्थान के लिए प्रस्थान व मंगलवार को आगमन करना यहां निषेध है। एक ही घर के सदस्य एक ही दिन में दो दिशाओं में नहीं जा सकते। रात को फुली (घड़ा) को जल रहित नहीं रखते, कहावत है कि रात्रि काल में आत्मा को प्यास सताएगी। शौका स्वयं मांसाहारी हैं और इनके देवता की मांसाहारी हैं। देवी देवताओं को बकरे की बलि के साथ शुद्ध जल, गोमूत्र, श्वेत अक्षत, धूप, धलं और मदिरा अर्पित करते हैं, जिसका यह स्वयं प्रसाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शिव प्रतीक लिंगनुमा पत्थर यहां पर प्रत्येक मंदिर और पूजा स्थल में देखा जा सकता है। जटिल या दुष्कर मार्ग पर तो ढेर सारे लिंगनुमा पत्थर दिखाई देते हैं, यह देवता से विनती है कि आपकी कृपा से हम इस कठिन मार्ग को पार कर सकें।

परसंस्कृतिग्रहण

दो या दो से अधिक संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण एवं संलयन का परिणाम परसंस्कृतिग्रहण (acculturation) कहलाता है अर्थात् जब व्यक्ति दूसरी संस्कृति की चीजों को सीखता है, तो उसे परसंस्कृतिग्रहण कहते हैं। अपनी संस्कृति के मूल्यों, व्यवहार और आदर्शों की जगह पर उस समाज और संस्कृति, जिसके वह संपर्क में आता है कि कुछ आदर्शें, मूल्य और व्याहारिक विशेषताओं को अपनाने लगता है। भाषा संस्कृति का अविकल और अभिन्न अंग है, अतः इस प्रकार के संपर्क एवं मिश्रण का प्रभाव सम्पर्कित संस्कृतियों की भाषा में भाषिक इकाइयों के परिवर्तन के रूप में स्पष्टतः देखा जा सकता है।

पारम्परिक शौका जनजातीय जीवन के सांस्कृतिक एवं सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन इस तथ्य को उद्घाटित करता है कि इनकी अपनी विशिष्ट परम्पराएं और मान्यताएं थीं, जो इनके पड़ोसी कुमाऊंनी से भिन्न थीं। किन्तु वर्तमान में इनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। आज कृषि, व्यापार, जड़ी-बूटी तथा पर्यटन इनकी जीविका के प्रमुख साधन हैं, शौका समाज के बहुत से लोग रोजगार, नौकरी और शिक्षा के चलते दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी और लखनऊ जैसे शहरों को पलायन कर गए हैं। अन्य समुदायों से सम्पर्क के कारण इनके रहन-सहन, खान-पान और बोलचाल में संरचनात्मक एवं आधारभूत परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की इस धारा से भाषा दारमा भी अद्भूती नहीं रही है। भाषा में आदान, विसरण या व्याघात प्रक्रियाओं द्वारा घटित भाषिक परसंस्कृतिग्रहण के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

दारमा समुदाय एक लम्बे समय से दो प्रधान भाषिक समुदायों के सम्पर्क में आ रहा है- पहली कुमाऊँनी जो इनके शिक्षित पड़ोसियों की भाषा है और दूसरी हिन्दी जो सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और पर्यटकों (तीर्थयात्री) की भाषा है। हिन्दी और कुमाऊँनी से इनका निरन्तर संपर्क रहता है। अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शौका जनजाति ने पड़ोसी कुमाऊँ लोगों का जीवनशैली के साथ-साथ उनके रीति-रिवाज अपनाने आरंभ कर दिए हैं। अब इनके कुछ संस्कारों में कुमाऊँनी पुरोहित की उपस्थिति देखी जा सकती। इन्होंने अपने जनजातीय संस्कारों का पूर्णतया त्याग नहीं किया है, लेकिन पड़ोसी कुमाऊँनी संस्कारों और त्यौहारों को धीरे-धीरे अपनाते जा रहे हैं। भाषा संस्कृति का आधारभूत अंग होने के साथ-साथ उसे अभिव्यक्त और उद्घाटित करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। संस्कृति में किंचित परिवर्तन भी भाषा में प्रतिविनियोग होता है। परिणाम स्वरूप दारमा समुदाय द्वारा प्रभावशाली पड़ोसी कुमाऊँनी संस्कृति से ग्रहण की गई प्रथाओं, रीतियों, वस्तुओं और पदार्थों के साथ साथ इनके सूचक शब्द भी भाषा द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं। संपर्क ने संप्रेषण अभिरचनाओं को प्रभावित कर परसंस्कृतिग्रहण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। अधिकतर शौका दो से अधिक भाषाएं जानते हैं, युवा और प्रौढ़ वक्ता बातचीत के समय अक्सर कुमाऊँनी और हिन्दी शब्दों का प्रयोग करते हैं।

यथा-

1. जी पैदी की खड़ कुट्टी निनी।
(मैं जानता हूं कि कल कुट्टी है)
2. बांदरु सुडरो कुसुड़ नी।
(बंदर पेड़ पर बैठा है)
3. थ्या सोमवार लै।
(आज सोमवार है)
4. मोहन सो वो फूल दासो।
(मोहन ने उसे फूल दिया)
5. जी मपयो कि गुबोला रंग जैनखियन।
(मुझे पता है कि आपको कौन सा रंग पसंद है)

धारचूला तथा उसके आस-पास स्थित कुमाऊँनी बोलियों ने दारमा भाषा को दो प्रकार से प्रभावित किया है- पहला आदान के कारण भाषा में अनेक नये शब्द आए हैं दूसरा आगत शब्दों ने अनेक दारमा शब्दों का स्थान ले लिया है। परिणाम स्वरूप पहले प्रचलित दारमा शब्दों के स्थान पर कुमाऊँनी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वस्तुओं रीति-रिवाज से संबंधित नाम सूचक शब्द दारमा शब्दावली का अंग बन गए हैं। दारमा भाषा में कुछ आगत मिश्र शब्द भी मिलते हैं, जो इस स्थिति की ओर संकेत करते हैं कि अपनी मातृभाषा संरचना के अनुकूल आगत आगत शब्दों को निर्मित करने की प्रवृत्ति, कुमाऊँनी शब्दों के अनुकरण की प्रवृत्ति से बहुत कम है। मिश्र शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं-

दारमा	हिन्दी
आलो	आलू

जभै	जीभ
नारज्यां	नाड़ियां
खिच्चर	खच्चर
बांदरु	बंदर

निरन्तर सम्पर्क के कारण कुछ शब्दों में स्वनप्रक्रियात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, इनमें से अधिकतर को आगत शब्द के रूप में पहचाना जा सकता है-

यथा-

दारमा	हिन्दी
लोकी	लौकी
मसुर	मसूर
कोठ	कोट
साबुनो	साबुन

भाषिक आदान में कभी-कभी एक भाषा का शब्द का अर्थ द्वितीय भाषा में जाने पर बदल जाता है। दारमा में इस प्रकार के भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे- फरसा शब्द का प्रयोग दारमा में कुल्हाड़ी के लिए किया जाता है। दारमा में कतिपय संकर शब्दों के उदाहरण भी मिलते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं।

यथा-

दारमा	हिन्दी
गन्दो-गोभी	पत्ता गोभी
इस्कूल-ह्यन्जन	विद्यार्थी
पति-गादमो	विवाह-विच्छेद
मूर्ति-ठड़मो	मूर्तिकार
लंगो-गाड़ी	बैलगाड़ी

शैका समाज ने आवश्यकता के अनुरूप महीनों के लिए हिन्दी आगत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनमें कहीं आंशिक स्वन विकृति दृष्टिगत होती है और किसी-किसी शब्द में उसका रूप पूर्व की भाँति रहता है। यथा-

दारमा	हिन्दी
चैत	चैत्र
बैसाख	बैसाख
जेठ	ज्येष्ठ
असाढ़	अषाढ़
सोन	श्रावण
भदो	भाद्रपद
असविन	अश्विन
कार्तिक	कार्तिक
मांसिर	अगहन
पुस	पौष

माघ	माघ
फागुन	फागुन

परसंस्कृतिग्रहण का प्रभाव दिनों के नाम पर भी दिखता है। दिनों के नाम में कहीं आंशिक स्वन विकृति तो कहीं रूप पूर्व की भाँति रहता है, यथा:

दारमा	हिन्दी
अन्तारू	रविवार
सोमबार	सोमवार
मंलारू	मंगलवार
बीफै	बृहस्पतिवार
छनिच्चर/ छनछर	शनिवार

अनेक कुमाऊंनी भाषायी एवं भाषेतर तत्व आज दारमा समुदाय का अभिन्न अंग बन गए हैं।
 संस्कारों में प्रयुक्त शब्द
विवाह संस्कार

विवाह के लिए ढामी शब्द है।
 थोमो (सगाई)

विवाहोत्सव (ढामी स्यास्या)

नांस्यी (वधू का मूल घर में प्रथम विश्राम)

जन्मोत्सव

छ्यूशिमो (11वें दिन मां और बच्चे का मुख्य घर में प्रवेश)

मुलिन कोरमो (22वें दिन मां का चूल्हे में प्रवेश)

पुस्यावोमो- यह बच्चे के जन्म के तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष सम्पन्न किया जाता है, इससे पूर्व बाल काटना अशुभ समझा जाता है। यह शुक्ल पक्ष की 7, 9, 11 या 13वीं तिथि को सम्पन्न होता है, परन्तु पूर्णिमा तिथि में वर्जित है। कटे हुए बालों को धजा में बांधकर बाद में पवित्र स्थानों पहुंचाया जाता है।

बुद्धानी- यह बच्चे की लम्बी उम्र की कामना तथा उसे समाज में मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित संस्कार है।

गवन- यह मृत व्यक्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है।

धार्मिक पूजा

घबला पूजन

सिमी ठुमौ (आत्मा पूजन)

इष्ट देवता

दारमा संस्कारों में समय और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन दृष्टिगत होता है।

निष्कर्ष

परसंस्कृतिग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की भाषा, वेशभूषा, जीवन-यापन के साधन, तकनीक का प्रयोग और मनोरंजन के साधन आदि में स्पष्ट रूप से दिखता है। महत्वपूर्ण है कि समाज कहाँ तक अपनी संस्कृति को बनाये रखना चाहता है। दारमा समाज में शिक्षा, रोजगार इत्यादि कारणों से बहुत अधिक पलायन हुआ है। शीत कालीन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग स्थायी रूप से रहने लगे हैं, इनमें से कई लोगों के बच्चे दिल्ली, देहरादून और लखनऊ जैसे शहरों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। कई ऐसे लोग भी हैं, जो इन शहरों में नौकरी करते हैं तथा स्थायी रूप से बस गए हैं, ये लोग वर्ष में एक या दो बार अपने गांवों में आ पाते हैं। इन स्थितियों में नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से अच्छी तरह से परिचित नहीं हो पा रही है, जिसका परिणाम भाषिक परसंस्कृतिग्रहण के रूप में दृष्टिगत होता है।